

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(26)ग्रावि/नरेगा/समय-टास्क/2011-12

जयपुर, दिनांक :

३० JUN 2012

३० JUN 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय:-महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्य समय एवं टास्क के संबन्ध में।

संदर्भ :-विभागीय सम संख्यक पत्रांक दिनांक 31.05.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत समय एवं टास्क के संबन्ध में जो व्यवस्था 30 जून 2012 अथवा मानसून आने तक के लिए लागू की गई थी, यह व्यवस्था अब 15 जुलाई 2012 अथवा मानसून आने तक जो भी पहले हो, तक के लिए प्रभावी रहेगी।

भवदीय

(अभय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
5. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. निदेशक एवं उप सचिव, जनसम्पर्क विभाग को समाचार पत्रों में समाचार के रूप में प्रकाशित कराने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस